सुनवाई हेतु दिशानिर्देश

<table>
<tr><th>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय 2 की धाराएं–3,4,5 एवं 6 के अन्तर्गत प्रावधान</th><th>खाद्य सुरक्षा भत्ता/का प्रावधान (अधिनियम की धारा–8 एवं संबंधित विभाग के नियम के अनुसार)</th><th>शिकायत के सामान्य प्रकार</th><th>खाद्य सुरक्षा भत्ता की गणना एवं संभावित कार्रवाई के बिन्दु</th></tr>
<tr><td rowspan="4">जन वितरण प्रणाली :–
1.PHH/पुर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार को (गुलाबी कार्ड) के अंतर्गत 5 किलो अनाज 1 रू० की दर से प्रतिमाह।

2. अंत्योदय अन्न योजना या पीला कार्ड धारक को 35 किलो अनाज 1 रू० की दर से प्रतिमाह।

3. डाकिया योजना (सभी विशिष्ट जनजाति के परिवार को 35 किलो अनाज (बिना कोई मूल्य चुकाए) सीलबंद बैग/बोरा में/घर पहुंचाकर प्रतिमाह है।</td><td>1. उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 21 जनवरी 2015 के क्रम संख्या 6 खाद्य सुरक्षा भत्ते की रकम की संगणना उस विपणन सत्र के लिए सुसंगत खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा और अधिनियम की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच अंतर को आपूर्ति न की गई मात्रा से गुणा करके की जाएगी।</td><td>(क) अनाज का न मिलना</td><td><u>खाद्य सुरक्षा भत्ता</u>
1. चावल–(32.64 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से X 1.25 की दर से) –1:00 रू = 39.80 रू
2. गेहूँ के मामले में तत्कालीन स्थानीय बाजार दर (राज्य खाद्य निगम दीदर पर) X 1.25 प्रति कि0ग्रा0) – 1.00 रू

• यदि जन वितरण प्रणाली की दुकान से संबंधित गंभीर आरोप होतो निलंबन अथवा बर्खास्त की कार्रवाई की अनुशंसा</td></tr>
<tr><td>सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश–2019 की कण्डिका–28 (v) के अनुसार–जनवितरण प्रणाली दुकानदार या डोरस्टेप डिलिवरी अभिकर्त्ता के द्वारा कम सामग्री उपलब्ध कराने पर प्रति किलोग्राम 100 रू० की दर से संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा विभाग के निर्देश पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।</td><td>(ख) अनाज की मात्रा कम मिलना</td><td>सम्बन्धित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा विभाग के निदेश पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

1. अनाज की मात्रा कम मिलने की स्थिति में कम दी गई अनाज की मात्रा X 100:00 रू प्रति कि0ग्रा0

2. जनवितरण प्रणाली दुकानदार या डोरस्टेप डिलिवरी अभिकर्ता के द्वारा कम सामग्री उपलब्ध कराने पर–कम दी गई अनाज की मात्रा X 100:00 रू प्रति कि0ग्रा0।</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>(ग)पात्रता होने और आवेदन के बावजूद राशन कार्ड निर्गत न होना।</td><td rowspan="2">ऐसे मामलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–25(1) एवं 26 का उल्लंघन मानते हुए त्वरित कार्रवाई हेतु आदेश पारित किया जाय। पारित आदेश के उल्लंघन होने पर अधिनियम की धारा–33 के तहत कार्रवाई हेतु आयोग को अग्रसरित किया जाय।</td></tr>
<tr><td>(घ)नाम जोड़ने, हटाने हेतु आवेदन के बाद भी सेवा गारंटी नियमावली के तहत् कार्रवाई न होना।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">मध्याह्न भोजन :–(प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में)
6 से 14 साल तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तय मेनू अनुसार प्रत्येक विद्यालय दिवस में दोपहर को विद्यालय में गरम पका पकाया पौष्टिक भोजन।
<table>
<tr><th>वर्ग</th><th>कैलोरी की मात्रा</th><th>प्रोटीन की मात्रा</th></tr>
<tr><td>कक्षा 1 से 6 तक</td><td>450</td><td>12</td></tr>
<tr><td>कक्षा 6 से 8 तक</td><td>700</td><td>20</td></tr>
</table></td><td rowspan="2">मध्याह्न भोजन नियम–9 (1) के अनुसार खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता यदि खाद्यान्न पकाने की लागत ईंधन उपलब्ध न होने या रसोइया सह हेल्पर के अनुपस्थित रहने अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मध्याह्न भोजन नियम–3 में निर्दिष्ट प्रत्येक बच्चे को राज्य सरकार मध्याह्न भोजन नियम–2 के उपबंध (ग) में यथा–परिभाषित खाद्य सुरक्षा भत्ता आगामी 15 तारीख तक उपलब्ध किया जाना है।</td><td>(क) मेन्यू के अनुसार /कक्षा के अनुसार सही मात्रा में भोजन नही मिलना ।
(ख) किसी भी विद्यालय कार्य दिवस पर मध्याह्न भोजन का न मिलना।</td><td>बालक की पात्रता के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा और राज्य में उस समय अभिभावी खाना पकाने की लागत।

1. कक्षा 1 से 5 तक के लिए– खाना पकाने की लागत 4.48 रू एवं 100 ग्राम चावल प्रतिदिन के हिसाब से
2. कक्षा 6 से 8 तक के लिए– खाना पकाने की लागत 6.71 रू एवं 150 ग्राम चावल प्रतिदिन के हिसाब से</td></tr>
<tr><td>(ग)विद्यालय दिवस में मध्याह्न भोजन न मिलने की स्थिति में अगले माह की 15 तारीक तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का न मिलना
(घ) स्कूल के दिनों में लगातार 3 दिन अथवा 1 माह में कम से कम 5 दिन तक मध्याह्न भोजन
न मिलना।</td><td>1. राज्य सरकार मध्याह्न भोजन नियमा 9(3) के अनुसार अभिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेदारी नियत करने के लिए कारवाई करेगी।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 33 के तहत कार्रवाई हेतु आयोग को अग्रसारित।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td><u>आंगनबाड़ी केन्द्र</u> :–
समेकित बाल विकास परियोजना के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्र पर
(1) 6 से 36 माह तक के बच्चे के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ICDS के दिशानिर्देश के अनुसार घर ले जाने वाला राशन।
(2) 3 से 6 साल तक के बच्चे लिए ICDS के मानदंडो के अनुसार सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन –सप्ताह में 3 दिन अंडासहित (साल में कम से कम 300 दिन)
(3)गर्भवती महिलाओं तथा धात्री या नर्सिंग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ICDS के दिशानिर्देश के अनुसार घर ले जाने वाला राशन (THR)
(4) 6 माह से 36 माहतक के कुपोषित/अति कुपोषित बच्चे को घर ले जाने वाला राशन (THR) कुल 800 कैलोरी ऊर्जा एवं कुल 20–25 ग्रा० प्रोटीन का पूरक खाद्यान्न के साथ।
(5) 3 से 6 वर्षतक के कुपोषित बच्चे को आंगनबाड़ी केन्द्र में देय भोजन के अलावा अतिरिक्त 300 किलो कैलोरी उर्जा तथा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन</td>
<td>(1) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिनांक–20.02.2017 को निर्गत अधिसूचना के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थी को खाद्यान्न नहीं रहने अथवा अन्य किसी भी कारण से खाद्य पदार्थ/भोजन नहीं मिल पाता है, तो खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलने का प्रावधान है।
(2) खाद्य सुरक्षा अधिनियम कि धारा 8 एवं पुरक पोषाहार नियमावली के नियम–8 के तहत देय होगा। यह पूरक पोषाहार नियमावली के नियम–3 में वर्णित लाभार्थी के प्रकार एवं हक के अनुसार तथा नियम–11 के अन्तर्गत प्रति इकाई तय की गई राशि के अनुसार देय होगा।</td>
<td>(क) मेन्यू के अनुसार सही मात्रा में भोजन नहीं मिलना ।
(ख) किसी भी कार्य दिवस पर मेन्यू के अनुसार सुबह का नास्ता अथवा /और दोपहर कोगर्म पका पकाया भोजन का न मिलना।</td>
<td>(1) खाद्य सुरक्षा भत्ता की गणना श्रेणिवार सामने वर्णित लागत मानक मेंहोंगी
<table>
<tr><th>श्रेणियां</th><th>वर्तमान दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन रूपये में)</th></tr>
<tr><td>बच्चे (6 से 72 माह के बीच)</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>कुपोषित बच्चे (6 से 72 माह के बीच)</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>गर्भवती महिलाएं और धात्री तथा नर्सिंग माताएं</td><td>9.50</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(3) खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 33 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के पूरक पोषाहार नियमावली का नियम–12।</td>
<td>(ग) किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र में किसी भी कार्य दिवस के दिन मेन्यू के अनुसार भोजन न मिलने की स्थिति और अगले माह की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का न मिलना।
(घ) किसी भी माह में आंगनबाड़ी केन्द्र के कार्य दिवस के दिनों में लगातार 3 दिन अथवा माह में कम से कम 5 दिन तक मेन्यू के अनुसार भोजन का न मिलना।</td>
<td>(2) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 33 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 376 के पूरक पोषाहार नियमावली का नियम 12 के अनुसार अभिकथित प्रकियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेदारी नियत करने के लिए कार्रवाई।
(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 33 के तहत कार्रवाई हेतु आयोग को अग्रसारित</td>
</tr>
<tr>
<td><u>प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना</u> :–
(1.) सभी गर्भवती महिला एवं धात्री माताको [01 जनवरी 2017 को या उसके बाद की गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं (आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं सहिया सहित)]
(2.) गर्भ धारण से बच्चे के जन्म के
<table>
<tr><th>किस्त</th><th>कब</th><th>रकम</th></tr>
<tr><td>प्रथम</td><td>पहले रजिस्ट्रेशन के बाद</td><td>1000/रू०</td></tr>
<tr><td>दूसरा</td><td>कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के बाद (गर्भधारण के 6 माह के बाद)</td><td>2000/रू०</td></tr>
<tr><td>तीसरा</td><td>1. बच्चे के जन्म निबंधन एवं
2- BCG,OPV,DPT एवंHepatitis-B या इसके समतुल्य टीकाकरण के बाद</td><td>2000/रू०</td></tr>
<tr><td>अंतिम</td><td>सस्थागत प्रसव के उपरान्त (JSY योजना अंतर्गत नगद प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत)</td><td>1000/रू०</td></tr>
</table>
बाद 6 माह तक निम्न अनुसार :–</td>
<td>राष्ट्रीय खाद्य सुरझा अधिनियम की धारा–4(ख) एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नियम–2016 का नियम 10।</td>
<td>1. किस्त का राशि शर्त पूरा करने के बाद भी समय पर नहीं मिलना।</td>
<td>2) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 39 की उपधारा 2(ग) एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नियम–2016 का नियम 10 के तहत् अभिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेदारी नियत करने के लिए कार्रवाई।
(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 33 के तहत कार्रवाई हेतु आयोग को अग्रसारित</td>
</tr>
</table>